प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 17 अक्टूबर, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-561/ह0क0-विकास अनुभाग/सौर ऊ0/2023-24 दिनांक 09.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना की गाइडलाइन्स से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-19/2022/1585/63व0उ0-2022-72(एच)/2020 दिनांक 06.12.2022 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश शासनादेश दिनांक 06.12.2022 में सोलर प्लान्ट लगाये जाने हेतु लीथियम बैटरी के साथ सौर ऊर्जा संयत्र पर पावरलूम बुनकरों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया था। नगरीय क्षेत्रों में जहॉ विद्धुत आपूर्ति लगभग 22-24 घंटे हो रही है, वहॉ पर बैटरी का उपयोग अधिक नहीं होता है। बैटरी के साथ सोलर संयंत्र का उपयोग करने से सोलर संयंत्र की लागत में वृद्धि हो जाती है। यदि बैटरी हटा दी जाय तो संयंत्र का लागत मूल्य कम हो जायेगा। इससे अधिक से अधिक पावरलूम बुनकर लाभान्वित होंगे, जो बुनकर अधिक विद्धुत आपूर्ति वाले क्षेत्रो में रहते हैं वे बिना बैटरी के सोलर संयत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो बुनकर कम विद्धुत आपूर्ति वाले क्षेत्रो में रहते है वे बैटरी के साथ सोलर संयत्र का उपयोग कर सकते हैं। बिना बैटरी के सोलर संयत्र, संयत्र की लागत को कम कर देता है, जिसके फलरूवरूप बुनकर अंश एवं देय अनुदान की धनराशि की लागत कम होगी। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-19/2022/1585/63व0उ0-2022-72(एच)/2020 दिनांक 06.12.2022 को अवक्रमित करते हुए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :-

2- यह परियोजना बैटरी के साथ एवं इसके बिना भी उपलब्ध होगी। इस हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विकास अभिकरण (UPNEDA) कार्यदायी संस्था होगी। पावरलूम बुनकरों को गैर पारम्परिक सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपीनेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदान किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा आनुषांगिक आय के रूप में प्रति संयंत्र 03 प्रतिशत धनराशि लिया जायेगा।

3- **व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर/समिति/यूनिट की पात्रताः-**

(i) बुनकर की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। बुनकर वस्त्र उत्पादन कर रहा हो।

(ii) बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र अथवा विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत कनेक्शन का प्रमाण हो।

(iii) बुनकर के पास आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए।

(iv) बुनकर के पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान/छत उपलब्ध हों।

(v) सहकारी समिति वैधानिक संचालक मण्डल के साथ कार्यशील हो तथा उसकी बैलेन्सशीट अद्यतन होनी चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- **योजना का वित्तीय स्त्रोत:-**

सामान्य पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर प्लान्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान देय होगा। इस लागत में संयंत्र की लागत के साथ, यूपीनेडा (कार्यदायी संस्था) की 03 प्रतिशत आनुशांगिक आय एवं जी0एस0टी0 सम्मिलित है। शेष 50 प्रतिशत या अतिरिक्त लगने वाली धनराशि लाभार्थी स्वयं अपने स्रोतों से अथवा बैक से ऋण लेकर वहन करेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर प्लान्ट की कुल लागत का 75 प्रतिशत राज्य के अनुदान के रूप में देय होगा। शेष 25 प्रतिशत या अतिरिक्त लगने वाली धनराशि लाभार्थी स्वयं अपने स्रोतों से अथवा बैंक से ऋण लेकर वहन करेगा। (संलग्न सूची "क" विकल्प-1 हेतु) आफग्रिड (लीथियम बैटरी सहित) एवं (संलग्नक सूची "ख" विकल्प-2 हेतु) आन ग्रिड (बैटरी रहित) के सौर ऊर्जा संयंत्र के विकल्प के चयन का अधिकार होगा।

5- **योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयन की प्रक्रियाः-**

(1)- योजना का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कराया जायेगा। पावरलूम बुनकरों की संस्था/यूनिट/लाभार्थी की पात्रता के अनुसार लाभार्थी से आवेदन पत्र सहायक आयुक्त (हथकरघा) के परिक्षैत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यालय स्तर पर पात्रता की जाँच की जाएगी। तत्पश्चात परिक्षैत्र स्तरीय कमेटी के समक्ष परीक्षण एव अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(2)- 10 किलोवाट तक के सोलर प्लान्ट के लिये परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी से अनुमोदन के उपरान्त जनपदवार प्रस्तावों पर संबंधित परिक्षैत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) स्वीकृति प्रदान करेगें तथा निदेशालय को सूचित करेगें। 10 किलोवाट से अधिक के लिये सोलर प्लान्ट की स्वीकृति राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की जायेगी।

6(अ)- 10 किलोवाट तक सोलर प्लान्ट के प्रस्तावों की स्वीकृति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी का गठन निम्नवत होगाः-

(i)	सम्बन्धित परिक्षेत्र के मण्डलायुक्त -	अध्यक्ष
(ii)	मण्डलीय संयुक्त आयुक्त उद्योग-	सदस्य
(iii)	परियोजना अधिकारी नेडा -	सदस्य
(iv)	जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित पावरलूम का एक बुनकर -	सदस्य
(v)	परिक्षैत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग -	सदस्य/सचिव

6(ब)- 10 किलोवाट से अधिक के सोलर प्लान्ट के प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कमेटी का गठन निम्नवत होगाः-

(i)	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय -	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, नेडा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि -	सदस्य
(iii)	वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय -	सदस्य
(iv)	संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय -	सदस्य
(v)	योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय -	सदस्य सचिव

7- सामान्य बिन्दुः-

(i)- यह योजना दिनॉक 06.12.2022 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित की जायेगी। पाँच वर्ष के उपरान्त योजना का बुनकरों की स्थिति पर पड़े प्रभाव का अध्ययन कराने के उपरान्त योजना को आगे गतिमान रखने पर यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii)- योजनान्तर्गत लाभार्थियो की संख्या वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निर्धारित की जायेगी।

(iii)- योजनान्तर्गत कम से कम 10 प्रतिशत महिला बुनकरों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(iv)- वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्धुत फ्लैट रेट योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-10/2023/617/63-व0उ0-2023-60(एच)/2016 दिनांक 06.04.2023 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पावरलूम बुनकरों को विद्युत आपूर्ति में अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली यूनिट्स तक का विद्युत आपूर्ति अनुदान देय नही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी पावरलूम बुनकर द्वारा 40 एच0पी0 की लूम चलाई जा रही है और 25 किलोवाट का सोलर संयत्र लिया जाता है तो, 40 एच0पी0 में से 25 किलोवाट तक के बराबर एच0पी0 घटाते हुए विद्युत अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के लाभार्थियों की सूचना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को दी जायेगी।

(v)- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर बुनकरों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 33/2023/410225/2023/(1)/63-व0उ0-2023 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
10- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विकल्प-1

पताका- "क" आफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट (बैटरी सहित)

5-(अ)-योजना का वित्तीय स्त्रोतः- (धनराशि लाख रू0 में)

सोलर प्लान्ट की क्षमता	योजनान्तर्गत उपकरण की शुद्ध लागत	सामान्य पावरलूम बुनकर हेतु			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकर हेतु		
		शासकीय अनुदान (50 प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (50 प्रतिशत)	योग	राज्यांश (75 प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत)	योग
5 किलोवाट	**8.71**	4.355	4.355	**8.71**	6.533	2.177	**8.71**
6 किलोवाट	**10.46**	5.23	5.23	**10.46**	7.845	2.615	**10.46**
8 किलोवाट	**13.95**	6.975	6.975	**13.95**	10.46	3.49	**13.95**
10 किलोवाट	**17.44**	8.72	8.72	**17.44**	13.08	4.36	**17.44**
12 किलोवाट	**20.22**	10.11	10.11	**20.22**	15.165	5.055	**20.22**
15 किलोवाट	**25.27**	12.635	12.635	**25.27**	18.952	6.318	**25.27**
20 किलोवाट	**33.70**	16.85	16.85	**33.70**	25.275	8.425	**33.70**
25 किलोवाट	**42.12**	21.06	21.06	**42.12**	31.59	10.53	**42.12**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विकल्प-2

पताका- "ख" आन ग्रिड सोलर पावर प्लांट (बैटरी सहित)

5-(ब)-योजना का वित्तीय स्त्रोतः- (धनराशि लाख रू0 में)

सोलर प्लान्ट की क्षमता	योजनान्तर्गत उपकरण की शुद्ध लागत	सामान्य पावरलूम बुनकर हेतु			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकर हेतु		
		शासकीय अनुदान (50 प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (50 प्रतिशत)	योग	राज्यांश (75 प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत)	योग
5 किलोवाट	**3.523**	1.7615	1.7615	**3.523**	2.643	0.880	**3.523**
6 किलोवाट	**4.227**	2.1135	2.1135	**4.227**	3.170	1.057	**4.227**
8 किलोवाट	**5.636**	2.818	2.818	**5.636**	4.227	1.409	**5.636**
10 किलोवाट	**7.046**	3.523	3.523	**7.046**	5.2845	1.7615	**7.046**
12 किलोवाट	**7.347**	3.6735	3.6735	**7.347**	5.5102	1.8368	**7.347**
15 किलोवाट	**9.184**	4.592	4.592	**9.184**	6.888	2.296	**9.184**
20 किलोवाट	**12.245**	6.1225	6.1225	**12.245**	9.1837	3.0613	**12.245**
25 किलोवाट	**15.306**	7.653	7.653	**15.306**	11.479	3.826	**15.306**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।